

पत्रांक-विधि-2(1) विशेष आर्थिक जोन(08-09)/ 723 / 0910043 / वाणिज्य कर।
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०
(विधि अनुभाग)
लखनऊ/दिनांक /अगस्त 26 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

एस०ई०जेड० के सम्बन्ध में जारी विज्ञप्ति संख्या-2027, दिनांक 30-6-08 को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1-1-08 से 30-6-08 तक जमा किये गये कर की वापसी तथा ठेकेदारों को भी उपरोक्त विज्ञप्ति से आच्छादित मानने से सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है जिसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है :-

1- एस०ई०जेड० के अन्तर्गत कार्य करने वाली इकाईयों को कर में छूट से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या-क०नि०-2-2027/ग्यारह-9-(15)/08, दिनांक 30-6-08 जारी की गयी है जो दिनांक 1-1-08 से प्रभावी है। इसके अन्तर्गत डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक जोन के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकास कर्ता, सह विकास कर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाईयों को कमिश्नर, वाणिज्य कर, द्वारा विहित प्रारूप में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स" हेतु बेचे गये माल के आवर्त पर दिनांक 1-1-08 से कोई कर उद्गृहीत अथवा भुगतान नहीं किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस विज्ञप्ति के जारी होने के पूर्व दिनांक 1-1-08 से 30-6-08 तक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकास कर्ता, सह विकास कर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाईयों को कमिश्नर, वाणिज्य कर, द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स" हेतु बेचे गये माल के आवर्त पर भी कर उद्गृहीत या भुगतान न करने का प्राविधान भी इस विज्ञप्ति में है परन्तु दिनांक 30-6-08 के पूर्व विकास कर्ता/सह विकास कर्ता एवं वहाँ स्थापित इकाईयों द्वारा जो माल क्रय किया गया है उसमें निहित कर का भुगतान विक्रेता व्यापारी को किया गया है एवं ऐसे विक्रेता व्यापारी द्वारा कर की धनराशि को विधि के अनुसार जमा किया गया है। परन्तु उक्त विज्ञप्ति के पूर्वगामी प्रभाव के कारण दिनांक 1-1-08 से 30-6-08 तक जो कर विक्रेताओं द्वारा विकास कर्ता/सह विकास कर्ता से वसूल करके जमा किया गया है, वह **wrongly realised tax** की श्रेणी में आयेगा तथा इसे वापस करने का प्राविधान उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 43 में दिया गया है। इसके अनुसार ऐसी जमा कर की धनराशि राजकीय कोषागार में राजकीय ट्रस्ट के रूप में जमा रहेगी तथा विहित रीति से क्लेम करने पर व्यापारी को वापस की जायेगी। यह प्राविधान वैट अधिनियम की धारा 43 (3) के अन्तर्गत दिये गये जो निम्न प्रकार हैं :-

(3) Where any amount is deposited by any dealer under sub-section (1) such amount or any part thereof shall on a claim being made in that behalf be refunded in such manner as may be prescribed to the person on whom liability of such amount has been passed ultimately.

Provided that no such claim shall be entertained after expiry of three years from the date of order of assessment or one year from the date of the final order on appeal, revision or reference if any, in respect thereof, which ever is later

इससे सम्बन्धित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम 50(14) के अनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को दिये गये कर का प्रमाणपत्र विक्रेता से प्राप्त करके रिफंड के क्लेम के साथ प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गयी है।

50(14) The receipt of payment of amount to the dealer or a certificate from the dealer certifying the realization of amount from the claimant shall be filed along with the claim for refund under sub-section (3) of section 43.

इस प्रकार दिनांक 1-1-08 से 30-6-08 तक जमा किये गये कर की वापसी विशेष आर्थिक जोन की इकाईयों द्वारा रिफंड क्लेम हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर की जानी है।

अतः समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसी इकाईयों द्वारा विक्रेता व्यापारी को दिये गये कर की वापसी हेतु यदि विहित रीति से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है और यदि ऐसे कर की वापसी अधिनियम की धारा 43 (3) के अनुसार प्रार्थी को देय है तो उसकी वापसी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर कर दी जाये।

2— एस0ई0जेड0 के अन्तर्गत कार्य करने वाली इकाईयों को कर में छूट से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9-(15)/08-यू0पी0ऐक्ट-5-2008-आर्डर-(26)-2008, दिनांक 30-6-08 जारी की गयी है जो दिनांक 1-1-08 से प्रभावी है। इसके अन्तर्गत डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक जोन के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक जोन के विकास कर्ता/ सह विकास कर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाई को कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारूप में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आपरेशन्स हेतु बेचे गये माल के आवर्त पर दिनांक 1-1-08 से कोई कर उद्दीत अथवा भुगतान नहीं किये जाने का प्राविधान किया गया है। परिपत्र संख्या 357, दिनांक 3-7-08 द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा इस हेतु फार्म डी निर्धारित किया गया है। वर्क कान्ट्रैक्ट के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाले माल के स्वामित्व का अन्तरण भी डीमंड सेल की परिभाषा में आने के कारण यह बिक्री भी उक्त विज्ञप्ति से आच्छादित है, परन्तु कतिपय कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है तथा कार्य संविदा का निष्पादन करने वाले व्यापारियों को उक्त विज्ञप्ति के अनुरूप कर से छूट नहीं मिल रही है।

अतः समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वर्क कान्ट्रैक्ट का निष्पादन करने वाले व्यापारियों द्वारा उपरोक्त विज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप माल का हस्तान्तरण किया गया है तथा क्रेता व्यापारी से परिपत्र संख्या-357, दिनांक 3-7-08 द्वारा निर्धारित फार्म डी प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाता है तो उस बिक्री पर कर से छूट उपलब्ध रहेगी।

3— कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

ह/

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक — उक्त।

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एच0एन0राव/श्री एस0सी0द्विवेदी संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि०अनु०शा०)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियां।
11. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

ह/
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।